बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

जबलपुर अंचल कार्यालय :
राईट टाउन, जबलपुर-482002
JABALPUR ZONAL OFFICE:
Wright Town, Jabalpur – 482 002

दूरभाष : 0761-2480065,67,68; ई-मेल–marc_jab@mahabank.co.in; www.bankofmaharashtra.in

एएक्स31/वसूली/सरफेसी/2019-20

दिनांक 08.04.2019

सिक्यूराइटेजाइशन एंड रिकंस्ट्रकशन ऑफ फाइनेंसियल एसेटस एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002

(सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत ई-ऑक्शन के द्वारा विक्रय की आम सूचना)

समस्त आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया नीचे दर्शित वसूली हेतु अधिग्रहीत संपत्ति "जहां है जैसी है" के आधार दिनांक 26.04.2019 पर अधोग्रहित विनिर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अंतर्गत (सरफेसी अधिनियम 2002) के तहत "ई-नीलामी" द्वारा विक्रय की जाएगी।

ऋणी / जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि जिसकी वसूली हेतु संपत्ति विक्रय की जा रही है	संपत्ति का विवरण बंधक संपत्ति की चतुरसीमा	बंधक संपत्ति की चतुरसीमा	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि की राशि
1.अ) मेसर्स आर के डेवलपर एण्ड सप्लायर प्रो- श्री रविंदर कौर खनूजा पत्नी श्री परमजीत सिंह खनूजा पता- सी-8, खनुजा एंक्लेव, E- 9, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.) पिन - 462011 ब) श्री परमजीत सिंह खनूजा पिता श्री सुरजीत सिंह खनुजा पता- सी - 9 व 10, खनुजा एंक्लेव, E - 9, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.) पिन 462011	रु. 1,83,19,247/-(रुपए एक करोड़ तेरासी लाख उन्नीस हजार दो सौ सैंतालीस मात्र) + दिनांक 27/12/2014 से सविदात्मक दर से ब्याज व अन्य प्रभार- आस्ति वसूली शाखा, जबलपुर	श्री परमजीत सिंह खनूजा पिता श्री सुरजीत सिंह खनुजा के नाम से ग्राम - बावड़िया-कला स्थित ओपन प्लाट , प्लाट नं 6 (प्लाट नं 6,6A,7 एवं 7A की सम्मिलित प्रापर्टी का भाग) खसरा नं 24/2/2/1/1, पटवारी हल्का नंबर 42, एरिया 2104.50 वर्ग फीट.,ग्राम बावड़ियाँ कलॉं,तहसील - हुजूर, भोपाल, (म. प्र.) पिन 462011	चतुरसीमा निम्नानुसार उत्तर- प्लाट नं 05 पूर्व- अन्य कालोनी की बाउंड्री दक्षिण- प्लाट नं 07 पश्चिम- रोड	आरक्षित मूल्य-रुपए 35.00 लाख (रुपए पैंतीस लाख मात्र) धरोहर राशि -रुपए 3.50 लाख (रुपए तीन लाख पचास हजार मात्र) बोली वृद्धि की राशि- रुपए 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र)
2.अ मेसर्स एस के डेवलपर ॲंड सप्लायर प्रो. श्रीमती सनमीत कौर खनुजा पत्नी श्री आशीष खनूजा पता- 8, खनुजा एंक्लेव, E- 9, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.) पिन- 462011 ब) श्री सुरजीत सिंह खनूजा पिता स्व. श्री अमरीक सिंह खनुजा पता- 8, खनुजा एंक्लेव, E - 9, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.) पिन - 462011	रु. 1,81,03,570/-(एक करोड़ इक्यासी लाख तीन हजार पॉंच सौ सत्तर मात्र) + दिनांक 27/12/2014 से सविदात्मक दर से ब्याज व अन्य प्रभार- आस्ति वसूली शाखा, जबलपुर	श्री सुरजीत सिंह खनूजा पिता स्व. श्री अमरीक सिंह खनुजा के नाम से खनुजा एन्क्लेव स्थित ओपन प्लाट, सर्वे नंबर 24/2/2/3, पटवारी हल्का नंबर 42, एरिया 4375 वर्ग फीट, मालवीय नगर, तहसील - हुजूर, भोपाल, (म. प्र.) पिन 462011	चतुरसीमा निम्नानुसार उत्तर- रवीद्र गोरे का प्लॉट पूर्व- विक्रेता की बाकी जमीन दक्षिण- रोड पश्चिम- रोड	आरक्षित मूल्य-रुपए 85.00 लाख (रुपए पचासी लाख मात्र) धरोहर राशि -रुपए 8.50 लाख (रुपए आठ लाख पचास हजार मात्र) बोली वृद्धि की राशि- रुपए 0.50 लाख (रुपए पचास हजार मात्र)
निविदा जमा करने/के.वाय.सी. दस्तावेज़/ईएमडी प्रूफ जमा करने की दिनांक व समय			24.04.2019 को शाम 05:00 बजे तक	
ई-नीलामी का दिनांक एवं समय, बोली वृद्धि पृत्येक 5 मिनट			26.04.2019 को सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक	

बैंक ऑफ महाराष्ट्र आस्ति वसूली शाखा, राईट टाउन, जबलपुर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त संपत्तिया "जहाँ है जैसी है" तथा जिस हालात में है के आधार पर है तथा ई -नीलामी ऑन लाइन संचालित की जवेगी। नीलामी बिक्री /बोली ऑनलाइन ई-नीलामी से वैबसाइट https://bom.auctiontiger.net के द्वारा होगी तथा पूर्वेक्षण बोलीदार विक्रय विवरणो तथा बोली को हमारे M/s. e-Procurement Technologies Limited - Auction Tiger एप्लिकेशन (एंडरोइड) के माध्यम से भी देख सकते है। इस संबंध में विवरण प्राप्त करने हेतु कृपया संपर्क न. 079 61200 594 / 598 / 559/ 587 /554 पर संपर्क मो: 9265562821.

(1) हमारे प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार इन सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार का भार नहीं हैं। फिर भी इच्छुक बोलीदार अपनी ओर से अपनी बोली प्रस्तुत करने के पूर्व इन सम्पत्तियों की स्वतंत्र जाँच, सम्पत्तियों के भार / अधिकारों / बकाया जो सम्पत्तियों को प्रभावित करते हों, की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई-नीलामी विज्ञापन किसी तरह की कोई वचनबद्धत्ता या बैंक के किसी प्रतिवेदन के लिए किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं करेगा । संपत्ति का विक्रय वर्तमान में तथा भविष्य के सभी भारों सहित चाहे वे बैंक की जानकारी में हों अथवा न हों के साथ किया जा रहा हैं। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूति ऋणदाता किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के दावों /अधिकारो (हकों)/ बकयों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

(2) इच्छुक क्रेताओं /बोलीदारों को सत्यंकार जमा राशि (ईमडी) की राशि या तो एनईएफटी (NEFT)/आरटीजीएस(RTGS) के द्वारा खाता क्रमांक 60164541683, खाता का नाम आंचलिक कार्यालय,भुगतान खाता IFSC कोड MAHB0000341 में करना होगा।

(3) ई-नीलामी के संदर्भ में इच्छुक वैध ईमेल पता तथा पासवर्ड होना चाहिए। ई-नीलामी की विस्तृत जानकारी के संबंध में कृपया M/s. e-Procurement Technologies Limited - Auction Tiger, B-704, Wall Street - II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006 Gujarat (India), संपर्क न. 079 61200 594 / 598 / 559/ 587 /554 पर संपर्क मो: 9265562821 ईमेल mp@auctiontiger.net से संपर्क करें ।

(4) इच्छुक बोलीदार को सत्यंकार जमा निधि (इमडी) जमा करने का प्रमाण जैसे UTR क्रमांक के ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए निवेदन पत्र तथा स्व-सत्यापित प्रतियां (i) पहचान का सबूत (केवाईसी) जैसे – मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट इत्यादि । वर्तमान पता , पत्र व्यवहार के प्रमाण (iii) बोलीदार का पैन कार्ड (iv) मोबाइल / लैंडलाइन फोन का नंबर संपर्क करने हेतु इत्यादि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जबलपुर के प्राधिकृत अधिकारी के पास दिनांक 24.02.2019 को सायं 05.00 बजे तक प्रस्तुत किए जाना चाहिए । उपरोक्त दस्तावेजो की मूल प्रतियों की स्केन की गई प्रतियाँ भी उपरोक्त दर्शित ईमेल आईडी पर भी प्रस्तुत की जाना चाहिए।

(5)इच्छुक बोलीदार संपत्ति / सम्पत्तियों के निरीक्षण अपने स्वयं के व्यय पर दिनांक 23.04.2019 को प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे के बीच कर सकते हैं । पूर्व समय नियुक्त करने हेतु कृपया अ) श्री मनीष सिंह, मोबाइल नं 9873894606, ब) श्री राजकिशोर रंजीत मोबाइल नं 88199-77788 पर संपर्क कर सकते हैं।

(6) योग्य बोलीदारों के नामों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंचलिक कार्यालय जबलपुर द्वारा अभिज्ञापित किया जाएगा जो ऑनलाइन आक्शन में https://bom.auctiontiger.net के पोर्टल पर भाग ले सकेंगे। M/s e-Procurement Technologies Limited - Auction Tiger योग्य बोलीदारों को उनके पैन के सत्यापन के पश्चात यूजर आई डी तथा पासवर्ड प्रदान करेंगे।

(7)यह उन इच्छुक बोलीदारों की जवाबदारी होगी कि वे बोली प्रस्तुत करने के पहले संपत्ति का निरीक्षण कर ले तथा अपने आप को संतुष्ट कर लें।

(8) सत्यंकार निधि जमा (ईएमडी) सफल बोलीदार की विक्रय के हिस्से के रूप में रोक ली जाएगी तथा असफल बोलीदारों की सत्यंकार जमा निधि पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य के स्वीकार किए जाने के तत्काल पश्चात ही सफल बोलीदार को विक्रय मूल्य की 25% प्रतिशत राशि जमा करना होगी तथा विक्रय मूल्य की बकाया राशि विक्रय दिनांक से 15 दिन या उसके पूर्व या ऐसी बड़ायी गई समयावधि में जो लिखित में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मान्य की गई हो की अवधि में जमा करना होगा जो कि पूर्ण रूप से प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा । सफल बोलीदार के राशि को जमा करने की चूक (डिफ़ाल्ट) के कारण जो जमा की गई सम्पूर्ण राशि है उसे जब्त कर लिया जावेगा तथा संपत्ति का स्थिरिकरण कर उसे पुनः नीलामी के लिए रखा जवेगा एवं चूक किए गए बोलीदार की संबन्धित संपत्ति / राशि पर किसी भी तरह का दावा / हक (अधिकार) नहीं रहेगा।

(9) योग्यता प्राप्त बोलीदार ई-नीलामी तिथि के पूर्व में M/s. e-Procurement Technologies Limited - Auction Tiger के ई-आक्शन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। ना तो प्राधिक्त अधिकारी और ना ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ना ही ये M/s. e-Procurement Technologies Limited - Auction Tiger किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या /पावर ना होने /अन्य तकनीकी त्रुटियों /असफलता इत्यादि के लिए जवाबदार नहीं होंगें। इस तरह की विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षित रखने के लिए इच्छुक बोलीदारों से निवेदन है कि वे अपने आपको तकनीकी रूप से अच्छी तरह संस्थापित करें तथा सक्षम पावर बैकअप का इंतजाम रखें ताकि वे ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भागीदारी कर सकें।

(10) क्रेता को लागू स्टांप ड्यूटीज /अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी / हस्तांतरण प्रभार शुल्क इत्यादि तथा समस्त प्रकार के वैधानिक / गैर वैधानिक बकाया, करों, कर निर्धारण प्रभारों, शुल्कों इत्यादि जो किसी को देना है का खर्च उठाना पड़ेगा।

(11) प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी भी अथवा समस्त प्रस्ताव (प्रस्तावों) को स्वीकार या रद्द करने, ई-नीलामी को स्थगित करने/आगे बढ़ाने /निरस्त करने अथवा किसी संपत्ति या उसके हिस्से को नीलामी प्रक्रिया से किसी भी स्तर पर निकालने के लिए बिना कोई कारण बताए ऐसा करने के लिए समस्त अधिकार प्राप्त हैं।

(12)विक्रय प्रमाण पत्र क्रेता (क्रेताओं)/आवेदकों के नाम पर ही जारी किया जाएगा। किसी अन्य के नाम /नामों पर जारी नहीं किया जावेगा।

(13) विक्रय सिक्यूराइटेजाइशन एंड रिकंस्ट्रकशन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत विहित नियमों और शर्तो के अंतर्गत किया जवेगा ।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ... शाखा, राईट टाउन, जबलपुर

Scanned by CamScanner

<u>सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक सूचना</u>

कर्जदार /प्रतिभूति देने वालों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ऊपर दर्शित राशि के साथ उस दिनांक तक का ब्याज एवं अनुलग्नक खर्चों का भुगतान नीलामी तिथि के पूर्व कर दें। इसके पालन ना होने पर संपत्ति नीलाम / बेची जावेगी तथा बकाया राशि यदि कोई होगी तो मय ब्याज व खर्चों के वसूल की जावेगी।

स्थान : जबलपुर
दिनांक : 08.04.2019

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जबलपुर अंचल

Scanned by CamScanner